राजस्थान सरकार
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2025-26

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढॉचा	1–2
2.	स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।	3–4
3.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलना।	5–8
4.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां।	9
5.	सार–संक्षेप (Excutive Summary)	10–12

1. अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचाः—

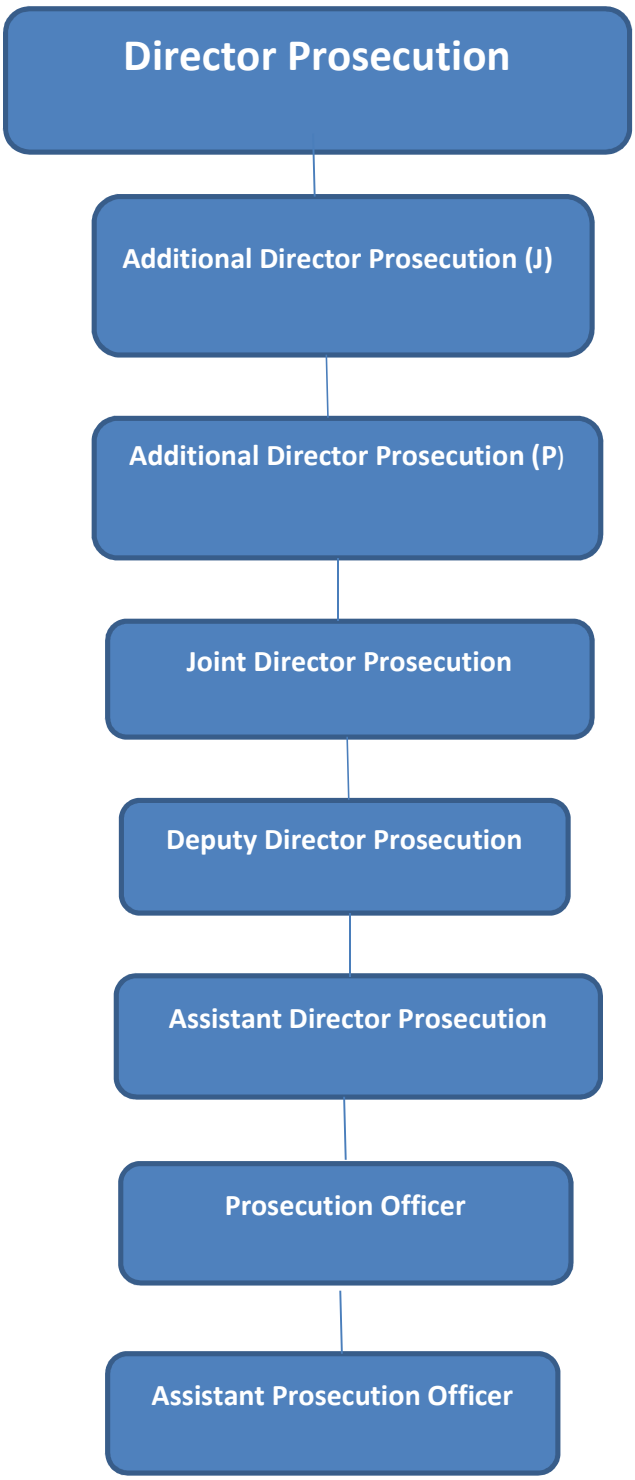

अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

↓

1.	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय)/(अभियोजन) (मुख्यालय स्तर पर)
3.	संयुक्त निदेशक अभियोजन(सतर्कता)
4.	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5.	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6.	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8.	निजी सचिव
9.	अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक प्रथम/ निजी सहायक द्वितीय
10.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ सांख्यिकी निरीक्षक
11.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/ कनिष्ठ लेखाकार
12.	संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी/ वाहन चालाक
13.	प्रोग्रामर/सूचना सहायक
14.	जमादार/च.श्रे. कर्मचारी

2. **स्वीकृत—कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरणः—**

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	01	00	01	शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	01	01	00	—
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	02	02	00	1 पद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो । 1 पद, अभियोजन निदेशालय।
4.	संयुक्त निदेशक अभियोजन	15	12	03	01 पद, संयुक्त निदेशक अभियोनज (सतर्कता), अभियोजन निदेशालय। 02 पद अभियोजन निदेशालय(अपील) 08 पद, संभाग स्तर पर। 02 पद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। 02 पद, उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर।
5.	उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक	47	45	02	01 पद, अभियोजन निदेशालय मुख्यालय। 01 पद, लोक अभियोजक श्रीगंगानगर । 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध)। 44 पद, जिला मुख्याालय पर।
6.	सहायक निदेशक अभियोजन /विशिष्ठ लोक /अपर लोक अभियोजक	197	116	81	15 पद, अपर लोक अभियोजक (ADJ COURT)। 01 पद, बम ब्लास्ट न्यायालय जयपुर (DJ COURT)। 17 पद, विशिष्ठि लोक अभियोजक (ADJ COURT)। 25 पद, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ADJ COURT)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ATS & SOG)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध)। 02 पद, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर। 02 पद, राजस्थान पुलिस अकादमी। 01 पद, रेरा न्यायालय, जयपुर। 44 पद, जिला मुख्यालय पर(पुलिस अधिक्षक एवं एसीबी को अनुसंधान में विधिक राय हेतु)। 01 पद, अभियोजन निदेशालय। 01 पद, निदेशालय चिकित्सा विभाग, (PCPNDT Cell)। 42 किशोर न्याय बोर्ड। 44 जिला मुख्यालय पर (अपील कार्य)
7.	अभियोजन अधिकारी	322	302	20	44 पद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 262 पद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 02 पद, जयपुर विकास प्राधिकरण (ACJM COURT)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध)। 07 पद, पीसीपीएनडीटी न्यायालय। 06 पद, रेल्वे कोर्ट।
8.	सहायक अभियोजन अधिकारी	494	120	374	न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु।

9.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	02	02	00	—
10.	निजी सचिव	02	02	00	
11.	अतिरिक्त निजी सचिव	03	02	01	—
12.	संस्थापन अधिकारी	19	13	06	—
13.	प्रशासनिक अधिकारी	62	37	25	
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	136	91	45	—
15.	निजि सहायक प्रथम	05	02	03	—
16.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	01	01	00	—
17.	कनिष्ठ लेखाकार	32	19	13	—
18.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00	—
19.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	00	—
20.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01	00	—
21.	निजी सहायक द्वितीय	08	08	00	—
22.	प्रोग्रामर	01	01	00	—
23.	सहायक प्रोग्रामर	05	05	00	—
24.	सूचना सहायक	42	34	08	—
25.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	212	97	115	—
26.	वरिष्ठ सहायक	292	232	60	—
27.	कनिष्ठ सहायक	564	265	299	—
28.	ड्राईवर	01	01	00	—
29.	जमादार	31	10	21	—
30.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	931	96	835	—
31.	**योग**	**3431**	**1519**	**1912**	**—**

3. **विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलनाः —**

अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणो मे पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

(I) न्यायिक मजिस्ट्रेट — राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(II) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट— राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन/अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(III) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई हेतु राज्य मे 25 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयो मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 25 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(IV) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम — राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 9 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(V) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार — राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार मे से 2 न्यायालयो मे राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(VI) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य में गठित 42 किशोर न्याय बोर्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी पदस्थापित है।

(VII) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड — राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है।

आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलनाः—

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष जनवरी, 2025 से अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 1217817 आपराधिक प्रकरणों में पैरवी का कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 459333 (37.72 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 758484 (62.28 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (80.64 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या माह अक्टूबर, 2025 तक 549608 थी, जिनमे से 75463 (13.73 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 474145 (86.27 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें, जिसमें दोष सिद्धी 41.00 प्रतिशत रही।

भारतीय न्याय संहिता के प्रकरणों में माह अक्टूबर, 2025 की संख्या 76796 थी, जिनमें से 11111 (14.47 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 65685 (85.53 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें, जिनमें दोषसिद्धि 93.83 प्रतिशत रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह अगस्त, 2025 तक 4321 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 746 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3575 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 29.46 प्रतिशत रहा है।

माह अक्टूबर, 2025 तक महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित कुल 69270 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 12037 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 57233 प्रकरण लम्बित रहें हैं। दोषसिद्वि 16.44 प्रतिशत रही।

माह जनवरी, 2025 से जून 2025 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 23506 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 1710 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 21796 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 28.62 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 7.27 रहा।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **अन्य अपराध वर्ग** / समस्त अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज / निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष अक्टूबर, 2025 तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	672751	716993	713455
2.	दायर	285222	417733	504362
3.	योग	957973	1134726	1217817
4.	कमिट (–)	10181	8847	मानचित्र में परिवर्तन किए जाने के कारण कॉलम संख्या–4 को कॉलम 8(C) में जोडा गया है।
5.	कुल विचाराधीन प्रकरण	947792	1125879	1217817
6.	(A) दोषसिद्धि	124553	126581	97076
7.	(B) दोषमुक्ति	21774	28631	23301
8.	(C) अन्य ढंग से	84472	257212	338956
9.	कुल निर्णित प्रकरण (A+C)	230799	412424	459333
10.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	716993	713455	758484
11.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	85.12	81.55	80.64

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **भारतीय दण्ड सहिता** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष अक्टूबर, 2025 तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	506510	524406	518826
2.	दायर	107496	90686	30782
3.	योग	614006	615092	549608
4.	कमिट (–)	9928	8371	मानचित्र में परिवर्तन किए जाने के कारण कॉलम संख्या–4 को कॉलम 8(C) में जोडा गया है।
5.	कुल विचाराधीन प्रकरण	604078	606721	549608
6.	(A)दोषसिद्धि	21915	22019	13816
7.	(B)दोषमुक्ति	18803	24669	19881
8.	(C)अन्य ढंग से	38954	41207	41766
9.	कुल निर्णित प्रकरण (A+C)	79672	87895	75463
10.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	524406	518826	474145
11.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	53.82	47.16	41.00

4. **आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां:–**

1. **वी.सी. से साक्ष्य–**विभाग द्वारा अधिकतम संख्या में सरकारी गवाहन, विशेषकर डॉक्टर्स, सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अधिकांश गवाहन के साक्ष्य वी.सी की मदद से करवाये जाने हेतु प्रत्येक मुख्य/अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में प्रतिमाह 10–12 तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 18–20 एवं सैशन विशिष्ठ न्यायालयों में प्रतिमाह 05–07 बयान जरिये वी.सी लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में माह नवम्बर, 2025 तक 9340 साक्ष्य जरिये वी.सी करवाये गयें।
2. **पद सृजन–**वर्ष 2025 में अभियोजन विभाग में विभिन्न संवर्गो में 289 पदों का सृजन किया गया।
3. **प्रशिक्षण–**विभाग द्वारा वर्ष 2025 में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अभियोजन सेवा के अधिकारियों के लिए दो–दो दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर (दिनांक 22.02.2025 से 23.02.2025) एवं राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (दिनांक 22.03.2025 से 23.03.2025) में आयोजित करवाएं गए।
4. **ई–संसाधन हेतु बजट**–ICJS के संबंध में ई–संसांधन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 9,08,20,000 एवं Network connectivity (number of sites where capex is needed) FUNDS के लिए 6,66,00,000 रूपये का बजट आवंटन किया गया है। उक्त बजट के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5. राजस्थान के अभियोजन निदेशालय के प्रयासों से ICJS ने लोक अदालत में बडी संख्या में न्यायालयों में प्रस्तुत होने व निर्णित होने वाले मामलों का डाटा न्यायालय के पोर्टल CIS से FETCH करवाने का कार्य सर्वप्रथम राजस्थान अभियोजन निदेशालय ने माननीय उच्च न्यायालय की E-Committee से करवाए गए।

5 सार–संक्षेप (Excutive Summary):–

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2025 से अक्टूबर, 2025 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 41.00 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 80.64 प्रतिशत रहा है।

2. **पदौन्नति –**

(अ) अभियोजन सेवा –

क्र.स.	पदनाम	किस वित्तीय वर्ष तक की विभागीय पदोन्नति बैठक आयोजित की जा चुकी है।	वर्ष जिनकी विभागीय पदोन्नति बैठक आयोजित किया जाना लम्बित है।	विभागीय पदोन्नति लम्बित रहने का कारण
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	2025–26	–	कार्यवाही पूर्ण।
2.	संयुक्त निदेशक अभियोजन	2025–26	–	कार्यवाही पूर्ण
3.	उप निदेशक अभियोजन	2025–26	–	कार्यवाही पूर्ण।
4.	सहायक निदेशक अभियोजन	2024–25	2025–26	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
5.	अभियोजन अधिकारी	2024–25	2025–26	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(ब) मंत्रालियक सेवा

1.	निजी सचिव	2025–26	––	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण।
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	2025–26	––	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण।
3.	निजी सहायक ग्रेड–।	2015–16	2025–26	पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं।
4.	संस्थापन अधिकारी	2025–26	– –	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण।
5.	प्रशासनिक अधिकारी	2024–25	2025–26	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2024–25	2025–26	प्रशासनिक अधिकारी की विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2024–25	2025–26	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।
8.	वरिष्ठ सहायक	2024–25	2025–26	सहायक प्रशासनिक अधिकारी की विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।
9.	कनिष्ठ सहायक	2024–25	2025–26	वरिष्ठ सहायक की विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

3 **भवनों के सम्बन्ध में:–**अभियोजन विभाग में भवनों के सम्बंध में सूचना निम्नानुसार है:–

(I) **वित्तीय वर्ष 2021–22–** के अन्तर्गत जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी एवं अभियोजन अधिकारी कार्यालय फागी, जयपुर देहात के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर, कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। अभियोजन कार्यालय फागी के कार्यालय हेतु भूमि विनिमय की कार्यवाही पूर्ण होकर, नई भूमि आवंटित हो चुकी है।

(II) **वित्तीय वर्ष 2022–23–** के अन्तर्गत अभियोजन कार्यालय कुचामन सिटी (नागौर), दूनी(टोंक), ग्राम न्यायालय पींसागन(अजमेर), सराडा(उदयपुर), एवं जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त में से अभियोजन कार्यालय **कुचामन सिटी (नागौर), सराडा(उदयपुर), सहायक निदेशक अभियोजन प्रतापगढ का निर्माण कार्य पूर्ण होकर कब्जा प्राप्त कर लिया।** अभियोजन कार्यालय दूनी(टोंक) को आवंटित भूमि का भूमि–विनिमय कार्य किया जा रहा है। शेष भवन ग्राम न्यायालय पीसांगन(अजमेर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4 **वित्तीय वर्ष 2024–25** के अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2023–24** हेतु संशोधित स्वीकृति 98. 13 लाख की जारी की गई। उक्त के साथ वित्तीय वर्ष 2024–25 में एपीओं कार्यालय, उनियारा(टोंक),एपीओं कर्यालय, रावतसर(हनुमानगढ), गंगापुर सिटी प्रथमतल (सवाई माधोपुर), अभियोजन कार्यालय, केकडी(अजमेर), उप निदेशक अभियोजन, सवाई माधोपुर, एपीओं कार्यालय, चाकसू(जयपुर), पीओ कार्यालय, बस्सी(जयपुर), उप निदेशक अभियोजन, धौलपुर, उप निदेशक अभियोजन, बांसवाडा, एपीओं कार्यालय, बागीदौरा(बांसवाडा), एपीओं कार्यालय असापुर एवं ग्राम न्यायालय आसपुर(डूंगरपुर), उप निदेशक अभियोजन, करौली, दौसा जिला मुख्यालय पर 5 अभियोजन कार्यालय, उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर प्रथम तल, एपीपी कार्यालय फागी, जयपुर हेतु 798. 34 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

5 **नियुक्ति:–** विभाग द्वारा वर्ष 2025 में 03 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई।

6 **ई–प्रोसेक्यूशन डाटा एन्ट्री– भारत सरकार के गृह मंत्रालस के National Crime Records Bureau (NCRB) नई दिल्ली द्वारा Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) प्रोग्राम का कियान्वयन किया जा रहा है। ई–प्रोसीक्यूशन उक्त प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण कार्य है।** विभाग द्वारा माह जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक कुल 1083109 प्रविष्टियॉ की गई है।

7 **बजट —** अभियोजन विभाग से संबंधित परिवर्तित आय—व्ययक अनुमानों के अनुसार बजट मद 2014—00—114—02—01 (State Fund) में वर्ष 2025—26 में रू. 15894.41 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध दिनांक 24.12.2025 तक रूपये 10454.87 लाख का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059—80—(051)—08—00—(17) (Plan) मे वित्तीय वर्ष 2025—26 में राशि रू. 700 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध दिनांक 24.12.2025 तक का 218.81 लाख का व्यय हो चुका है।

8 **निरीक्षणः—** वर्ष 2025 में माह जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 44.09 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।

9 **भर्ती हेतु अर्थना** —

(i) विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायक के पदों की अर्थना दिनांक 27.11.2025 को गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 329 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 12 पदों हेतु प्रेषित की गई।

(ii) विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की अर्थना दिनांक 08.10.2025 को गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 770 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 42 पदों हेतु प्रेषित की गई।

.....